

10/12/25 पत्रावली आज पेश हुई। प्रयोग व उनके  
वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-  
रुक कर लेन वार आवाने लगाई गई  
बावजूद प्रयोग व उनके वकील जैर  
हाजिर रहे। अतः पत्रावली जैर हाजिरी  
एवम् अडम पैरवी में खारिज की जाती है।  
पत्रावली फलतः सुमार लेकर डाकिले  
दफ्तर हो एवम् नम्बर ले कम हो।



उपखण्ड अधिकारी  
चौहान

